...लय नायब तहसीलदार सिणधरी, जिला - बाड़मेर

...मुकदमा नम्बर - 233/17-18

प्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये
पटवारी हल्का - सणपा मानजी

बनाम

विप्रार्थी
श्री शंकरलाल वल्द
पुत्र श्री दीपाराम
जाति - जाट निवासी - खरंटिया

मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक - 09-03-2018

संक्षिप्त प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है कि हल्का पटवारी सणपा मानजी ने रिपोर्ट पेश कर जाहिर किया है कि विप्रार्थी ने इस वर्ष संवत 2074 में ग्राम त्रिशुलिया के खसरा नम्बर 119 रकबा 0-10 बीघा किस्म गैर मु. भाखर पर अनाधिकृत कब्जा कर ~~फसल~~ धर्मकांटा लगाकर के आतिक्रमण किया है। जिस पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थी को जरिये नोटीस तलब किया गया। पेशी तिथी पर विप्रार्थी बावजूद नोटीस तामेल के अनुपास्थित।

पेशी तारीख पर न्यायालय के बाहर तीन बार आवाज लगवाने तथा नोटीस तामिल होने के उपरान्त अनुपास्थित रहने पर तथा अपने पक्ष में किसी भी प्रकार का सबूत पेश नहीं करने पर विप्रार्थी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही करने का निर्णय पारित किया गया।

चूंकि उक्त आराजी राजस्व अभिलेख अनुसार राजकीय भूमि दर्ज है। जिस पर विप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत कब्जा करना साबित होता है। ऐसी अवस्था में विप्रार्थी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अतिक्रमी घोषित किया जाकर उसको उक्त आराजी भूमि से बेदखली के आदेश दिये जाते है। विप्रार्थी के इस कृत्य के लिए उनके विरूद्ध वार्षिक भू-राजस्व लगान एक रू. (0-12 का शास्त्र मय) का 50 गुणा अर्थात 50/- रू. (अक्षरे रूपये पच्चास रूपये) का जुर्माना आरोपित कर दण्डित किया जाता है। जो विप्रार्थी से वसूल किया जावे।

हल्का पटवारी विप्रार्थी को उक्त आराजी से भौतिक रूप से बेदखलकर, जुमाना राशी की वसूली कर निर्णय की पालना में भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त करें तथा कब्जा प्राप्ति की रिपोर्ट पेश करें। सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक उक्त भूमि में यदि फसल / सामग्री उपलब्ध होने की स्थिति में उसे कुर्क कर निलामी की कार्यवाही करते हुए फर्द निलामी व निलामी राशी जमा करावे। निर्णय की क्रियान्वीति में मांग कायमी तराले तहसील हाजा के रजिस्टर में दर्ज करवाई जाकर न्यायालय के निर्णय की पालना सुनिश्चीत करें। निर्णय आज दिनांक 9/3/18 को खुले न्यायालय में सुनाया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो, निर्णित पत्रावली दफ्तर दाखिल हो

sd/-
नायब तहसीलदार
सिणधरी